न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 19/2016

श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री रोकड़ चन्द्र जाति जैन निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील विजयनगर, जिला अजमेर

.............*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार

..........*रेस्पोन्डेन्ट*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 29.08.2016

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2072 में श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री रोकड़ चन्द्र जाति जैन निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील विजयनगर ने ग्राम रामगढ़ के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1541 कुल रकवा 2 बीघा 3 विस्वा किस्म गैर मु0 रास्ता में से 3 विस्वा भूमि पर अनाधिकृत रूप से चार दीवारी निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट नायव तहसीलदार विजयनगर के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 11/2015 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 23.12.2015 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सामग्री को जब्त सरकार कर नीलामी के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 23.12.2015 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का मौका दिये बिना तथा विवादित भूमि की मौका स्थिति की जांच किये बिना आक्षेपीय आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। उनका यह भी कथन है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1541 पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, बल्कि आराजी खसरा नम्बर 1526, 1527, 1529 व

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

1529/4022 जो कि राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन 1992 के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि है में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूखण्ड क्रय कर क्रय शुद्वा भूखण्ड पर ही निर्माण किया गया है। खसरा नम्बर 1541 का रास्ता पूर्वानुसार यथावत चल रहा है उक्त आराजियात से उनका कोई सरोकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त एवं पक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर विधि के प्रावधानों के विपरीत प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा मौके की स्थिति की जांच किए आक्षेपीय आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत 1995 आर.बी.जे. पेज 460 के अनुसार :-

"Rajasthan Land Revenue Act 1956- Section 91- When provisions of this section cannot be invoked.

Section 91 of the Act prescribed a summary procedure for eviction of a person who is found to be in unathorised occupation of Government land. The said provisions cannot be invoked in a case where the person in occupation raises bonafide dispute about his right to remain in occupation over the land".

इसी प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत 2006 आर.बी.जे. पेज 291 के अनुसार :-

"Rajasthan Land Revenue Act 1956- Section 91- Powers under this section can be exercised only against trespassers".

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अनुसरण में सद्भाविक काबिज व्यक्ति को अतिक्रमी के रूप में माना जाकर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही विधिक प्रावधानों के विपरीत है। उनका यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत दिनांक 26.10.2015 को जवाब प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट मंगाये जाने के आदेश पारित किये गये किन्तु पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किए बिना एक पक्षीय रूप से अपीलान्ट की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर दी तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष अपीलान्ट के अतिक्रमी के रूप में कब्जे संबंधी किसी प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के बावजूद साईक्लोस्टाईल रूप से आक्षेपीय आदेश पारित किया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपील अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है जो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर दो बार मौके की जांच करवाने के पश्चात् विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाये

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जाने पर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावें।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के साथ ही गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है जो नियमन योग्य भी नहीं है। अपीलान्ट का यह कथन भी गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौके की दुबारा जांच करने के पश्चात् अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 29.08.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर
अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर